



कपड़ा मंत्रालय
भारत सरकार
कपड़ा मंत्रालय
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

अनुसंधान परियोजनाओं के प्रस्तावों का आमंत्रण

कपड़ा मंत्रालय, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) के तहत प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों और अनुसंधान संगठनों से अनुसंधान परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित कर रहा है। चुने गए शोध विषयों और सामान्य दिशानिर्देशों का विवरण कपड़ा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट (<http://texmin.nic.in/technical-textiles-mission>) पर उपलब्ध है।

अनुसंधान परियोजनाओं का प्रस्ताव करने वाले संगठनों/संस्थानों को अनुसंधान परिणामों के आगे वाणिज्यिक विकास के लिए उद्योग के साथ साझेदारी करने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए, डॉ. मुकेश कुमार सिन्हा, संयुक्त मिशन निदेशक (अनुसंधान और नवाचार), मिशन निदेशालय, एनटीटीएम से m.ksinha@nic.in और nttm-textiles@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

एनटीटीएम के तहत अनुसंधान प्रस्तावों को आमंत्रित करने के लिए चुने गए अनुसंधान विषय
क. विशेष फाइबर और सम्मिश्रण

1. उच्च आणविक भार / उच्च शक्ति पॉलीथीन फाइबर
- 1.1 केंद्रित अनुप्रयोगों के लिए इसके फाइबर के सम्मिश्रण
- 1.2 हथियारों का विकास
- 1.3 पैराशूट सामग्री का विकास
- 1.4 सॉलिड स्टेट प्रोसेस्ड डीपीई टेप और जेल स्पून अल्ट्रा-हाई-मॉलिक्युलर-वेट पॉलीइथाइलीन फाइबर्स
- 1.5 बुलेट प्रूफ सामग्री का विकास
- 1.6 उसके सतही संशोधन, ग्राफीन का अनुप्रयोग, कार्यात्मक परतें, आदि ऐसे फाइबर के उत्पादन के लिए प्रक्रिया अनुकूलन। ग्रैफेन निगमित फाइबर एंटीस्टैटिक और एंटीमाइक्रोबायल अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी होते हैं।
- 1.7 श्वसन मास्क आदि के लिए नैनो-कपड़ों का विकास और निर्माण।
- 1.8 हेलमेट का विकास
- 1.9 अग्रदूत बहुलक विकास
- 1.10** कार्बन नैनोट्यूब (सीएनटी) से उत्पादित कार्बन फाइबर ने ऐक्रेलिक अग्रदूतों को प्रबलित किया।

2. एक्रीलिक फाइबर

2.1 बेहतर फाइबर कटाई और बेहतर गुणों के लिए पॉलीमराइजेशन की बेहतर प्रक्रिया का विकास - संकीर्ण आणविक भार वितरण / पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स (पीडीआई) के साथ पॉलिमर।

2.2 एक्रीलोनिट्राइल से रेशों का विकास

2.3 मानक मापांक ग्रेड कार्बन फाइबर का निर्माण

2.4 मध्यवर्ती ग्रेड कार्बन फाइबर का विकास

3. कोयला टार/ पेट्रोलियम पिच से कार्बन फाइबर

3.1 हरे फाइबर के लिए कोयला टार पिच

3.2 हरे फाइबर के लिए पेट्रोलियम पिच

3.3 कार्बन फाइबर में हरे फाइबर का रूपांतरण

4. ग्लास फाइबर

4.1 बेहतर प्रबलित ग्लास फाइबर उत्पादों का विकास

4.2 परतों की मोटाई को कम करने के माध्यम से कम लागत वाले प्रबलित ग्लास फाइबर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी

4.3 ऑटोमोबाइल के हल्के वजन के लिए ग्लास फाइबर और संकर

4.4 नैनो-सतह दवा के माध्यम से प्रबलित ग्लास फाइबर का थर्मल इन्सुलेशन

4.5 राडोम और दूरसंचार प्रणालियों के लिए प्रबलित ग्लास फाइबर, टेप्लॉन कोटिंग आदि का सतह संशोधन।

5. कार्बन फाइबर की सतह संशोधन

5.1 कार्यात्मक फाइबर- कम मात्रा, उच्च मूल्य फाइबर

5.2 नैनोफाइबर का विकास

5.3 ग्राफीन का अनुप्रयोग

5.4 थर्मल और अन्य अनुप्रयोगों के लिए नैनो सामग्री सतह कोटिंग

5.5 सक्रिय कार्बन फाइबर (ऊर्जा भंडारण के लिए- बैटरी इलेक्ट्रोड आदि)

5.6 चिकित्सा, हाइजीन और अन्य अनुप्रयोगों के लिए सक्रिय नैनो कपड़े

5.7 सैन्य उपयोग के लिए छलावरण फाइबर विकास

5.8 यूवी संरक्षित फाइबर

5.9 अन्य चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए सतह संशोधन

6. नैनो-फाइबर के लिए इलेक्ट्रो-स्पिनिंग प्रक्रिया का स्केलिंग

7. कार्बन सहित विशिष्ट हाइब्रिड फाइबर का विकास और निर्माण - ग्लास फाइबर

8. अरामिड फाइबर का विकास और निर्माण।

ख. भू-तकनीकी वस्त्र

1. फुटपाथ सामग्री और निष्पादन पद्धति - महत्वपूर्ण भौतिक और पर्यावरणीय मानकों के आधार पर विभिन्न प्रकार की सड़कों के लिए। स्वदेशी सामग्री/अपशिष्ट सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता।

2. जूट/कॉपर/प्राकृतिक फाइबर सहित भू-वस्त्रों का उपयोग करके भूस्खलन की रोकथाम, ढलान संरक्षण।

3. भू-वस्त्रों का उपयोग करते हुए रेलवे उप-गिट्टी/उप-संरचना का सुदृढीकरण। अनुसंधान में विभिन्न लोडिंग मापदंडों और विभिन्न उप ट्रेक मापदंडों (धरती निर्माण, वाया-डक्ट, उच्च गति, हल्की रेल आदि) के लिए लागत-आर्थिक सामग्री विकास शामिल हो सकता है।

4. लैंडफिल - भू-वस्त्रों का उपयोग

5. जल अवसंरचना - मृदा अपरदन रोकथाम

6. जल संरक्षण - रिसाव की रोकथाम

7. जल अवसंरचना - फाइबर आधारित उच्च दाब/भारी शुल्क पाइपलाइनों का विकास।

8. हाई स्ट्रेथ पॉलीमर से जियो-ग्रिड/जियो-कंपोजिट का विकास

9. भू-वस्त्रों के उपयोग का सिमुलेटेड/त्वरित प्रभाव अध्ययन

मूलढांचा परियोजनाएं

10. अत्यधिक जलवायु के लिए भू-कपड़ा (भारी वर्षा, अत्यधिक तापमान, बर्फ से लदे रास्ते, ढीली मिट्टी का बुनियादी ढांचा आदि)

11. प्रासंगिकता का कोई अन्य शोध विषय।

ग. एग्रो टेक्निकल टेक्सटाइल्स

1. लागत प्रभावी/आर्थिक लंबे समय तक चलने वाले कृषि-वस्त्रों का विकास। अल्ट्रा-वायलेट, नमी और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना करने के लिए अंतर्निहित फाइबर का विकास।

2. विभिन्न फसलों और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तैयार कृषि-वस्त्र (अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट होने के लिए भारतीय मानक को भी विकसित करने की आवश्यकता है)
3. रेशम उत्पादन अनुप्रयोगों के लिए कृषि-वस्त्र
4. हिमालय और पर्वतीय क्षेत्रों में वन्यजीवों के हमलों से फसलों की सुरक्षा के लिए कृषि-वस्त्र।
5. बारहमासी फसलों के लिए कृषि-वस्त्र (जैसे चाय, कॉफी, मसाले, शहतूत आदि)
6. लंबे समय तक चलने वाली मल्लिंग सामग्री
7. बीज संरक्षण बैग
8. प्राकृतिक फाइबर आधारित कृषि-वस्त्रों के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादों की पैकेजिंग।
9. कृषि वस्त्रों के माध्यम से कृत्रिम मिट्टी/मिट्टी रहित खेती
10. पॉली हाउस जलवायु नियंत्रण के लिए कृषि वस्त्रों का विकास
11. प्रासंगिकता का कोई अन्य शोध विषय।

घ. उच्च प्रदर्शन का विकास

1. अल्ट्राहाई-आणविक-भार पॉलीथीन (यूएचएमडब्ल्यूपीई)
2. अरामिड (मेटा और पैरा) फाइबर
3. मॉड-ऐक्रेलिक फाइबर
4. पॉलीफेनिलीन सल्फाइड (पीपीएस) फाइबर
5. सभी प्रकार के क्रॉस सेक्शन और पॉलिमर के लिए द्वि-घटक फाइबर /
6. प्रवाहकीय फाइबर
7. पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन (पीटीएफई) लेपित फाइबर
8. प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल यौगिकों से उच्च प्रदर्शन पॉली-एथिलीन (एचपीपीई) फाइबर का विकास
9. पुनः इंजीनियर तकनीकी यार्न
10. महंगे भांग और सन फाइबर को बदलने के लिए जूट फाइबर का उन्नयन
11. पैन-आधारित उच्च प्रदर्शन विशिष्ट कार्बन फाइबर विकास

ड़. स्पोर्ट्सक

1. सक्रिय पहनने में चरण-बदलती सामग्री (पीसीएम) अनुप्रयोग

2. विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सतत पर्यावरण के अनुकूल स्पोर्ट्सवियर
3. खेल के सामान जैसे हॉकी स्टिक, टेनिस रैकेट, बैडमिंटन रैकेट, गोल्फ शाफ्ट, फिशिंग रॉड आदि के लिए कंपोजिट।
4. कृत्रिम टर्फ का विकास

च. मेडीटेक

1. टिकाऊ जैव-आधारित स्वच्छता उत्पादों का विकास
2. एंटीस्टेटिक कपड़े का विकास
3. मेडीटेक उत्पादों के भस्मीकरण के दौरान जारी ऊष्मीय ऊर्जा के भंडारण/उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास
4. अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी का गूदा - स्वच्छता उत्पादों के लिए शोषक फाइबर सामग्री

छ. मोबिलटेक

1. उच्च दक्षता वाले गैर-बुना वायु निस्पंदन का डिजाइन और विकास
2. ऑटोमोटिव के लिए हल्के वजन, सस्ते, प्राकृतिक फाइबर और कृषि-अपशिष्ट आधारित फाइबर प्रबलित मिश्रित घटकों के निर्माण की तकनीक
3. कार्बन फाइबर बाइक फ्रेम का विकास
4. सुरक्षा नियमों से संबंधित उत्पाद - एयरबैग

ज. बायोडिग्रेडेबल तकनीकी वस्त्र

1. जैव निम्नीकरणीय बहुलक का विकास
2. नए नवीकरणीय कच्चे माल के साथ इसका उपयोग करने के लिए मौजूदा मशीनरी बुनियादी ढांचे में आवश्यक संशोधनों पर अनुसंधान
3. तकनीकी वस्त्रों के पुनर्चक्रण पहलू के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं

झ. प्रोटेक

1. भारतीय भूभाग के लिए अनुकूलित आईआरआर (इन्फ्रारेड रिफ्लेक्टर) छलावरण का विकास।
2. 100% कॉटन, कॉटन पॉलिएस्टर, कॉटन नायलॉन ब्लेंड्स से बने फैब्रिक को FR गुण प्रदान करने के लिए रसायनों का निर्माण।
3. वैश्विक मानकों के साथ भारतीय अग्निशमन सूट
4. थर्मोरेगुलेटरी फाइबर प्रौद्योगिकी की उपलब्धता
5. ऑक्सेटिक 2डी और 3डी बुने हुए टेक्स्टाइल्स और उनके कंपोजिट

सीमेंट सुदृढीकरण के लिए उच्च प्रदर्शन कंपोजिट कपड़े

1. कंक्रीट में गैर संक्षारक कपड़ा सुदृढीकरण
2. भारत सरकार की विभिन्न जल टैक्सी परियोजनाओं के लिए फाइबर प्रबलित पॉलिमर से नावें
3. तटीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए भू-बैग और भू-ट्यूब
4. फाइबर राल आधारित मिश्रित अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार के फाइबर और इसकी निर्माण प्रक्रिया (फाइबर ब्रेडिंग, 3 डी बुनाई, फिलामेंट वाइंडिंग) पर अनुसंधान

तकनीकी वस्त्रों में प्लाज्मा प्रौद्योगिकी

1. तकनीकी वस्त्रों में प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

जे विविध वस्त्र आइटम

1. समुद्री और जलमार्ग अनुप्रयोगों के लिए बिल्डटेक/जियोटेक वस्त्रों का विकास
2. उच्च दाब हाइड्रोजन भंडारण टैंकों के उत्पादन पर अनुसंधान
3. रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए विशेष फाइबर की आवश्यकता वाले उन्नत विषयों की आवश्यकता होती है
4. उपयुक्त तकनीकी कपड़ा सामग्री के साथ प्लास्टिक और धातुओं के विकल्प, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां आयात को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी वस्त्र उत्पादों को विकसित करना संभव है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

घटक- I (अनुसंधान, नवाचार और विकास) और वित्त पोषण की शर्तों के तहत अनुसंधान प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन 2020-21 से 2023- 24 की अवधि के लिए वैध है, जिसके बाद यह मान्य नहीं रहेगा। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के लिए स्वीकृत सभी अनुसंधान उद्देश्यों ने लक्ष्य वर्ष निर्धारित किए हैं जो फाइबर स्तर पर मौलिक अनुसंधान के लिए 2021-22 और अनुप्रयोग और उत्पाद विकास के लिए 2022-23 हैं। मिशन के लक्षित वर्षों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ताकि प्रत्येक शोध गतिविधि का वांछित परिणाम लक्ष्य वर्ष के भीतर उपलब्ध हो सके।

क: अनुसंधान निकायों से अनुसंधान प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तंत्र

क.1 राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत एक 'अनुसंधान निकाय' अनुसंधान संगठन है, जो सीधे भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग के नियंत्रण में है, या संबंधित क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान में लगे प्रतिष्ठित अकादमिक संस्थान के नियंत्रण में है।

क.2 अनुसंधान निकाय अनुमोदित अनुसंधान गतिविधि को पूरी तरह से अपने दम पर कर सकता है, या उद्योग या अन्य अनुसंधान निकायों के भागीदारों को शामिल कर सकता है। एक 'उद्योग भागीदार' या कई उद्योग भागीदारों के मामले में, उद्योग भागीदार के पास संबंधित उत्पाद के लिए भारत में अपनी विनिर्माण सुविधा होनी चाहिए और संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए भारत में पर्याप्त अनुसंधान अवसंरचना होनी चाहिए। अनुसंधान निकाय अन्य 'प्रयोगशाला भागीदारों' के साथ भी भागीदारी कर सकता है, जिनके पास भारत में संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान अवसंरचना होनी चाहिए। अनुसंधान प्रस्ताव में उद्योग/प्रयोगशाला भागीदारों का विवरण शोध प्रस्ताव में उनकी विशिष्ट भूमिकाओं के विवरण के साथ लाया जाना है। सभी उद्योग/प्रयोगशाला भागीदारों को प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत भारत में पंजीकृत होना चाहिए।

क.3 अनुदान केवल अनुसंधान निकाय को प्रदान किया जाएगा, और विशेष अनुसंधान परियोजना का संचालन करने वाला अनुसंधान निकाय मुख्य रूप से सभी अंतर-साझेदारी समन्वय, निधियों के वितरण, व्यय की निगरानी और सरकार को प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। अनुसंधान निकाय समयबद्ध तरीके से अंतिम वांछित परिणाम के लिए भी जिम्मेदार है।

क.4 राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (घटक-1) के तहत प्रदान की जाने वाली निधि में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे जैसे भवन या किसी नवीनीकरण कार्य की कोई लागत शामिल नहीं होगी। अनुसंधान गतिविधियों को प्रत्येक भाग लेने वाले संगठन के उपलब्ध बुनियादी ढांचे की व्यवस्था के भीतर किया जाना है। हालांकि, अनुसंधान उपकरण जो पहले उपलब्ध नहीं होने वाले विशिष्ट कार्यों के लिए अतिरिक्त रूप से आवश्यक हैं, उन्हें 'अनुसंधान निकाय' द्वारा खरीदा जा सकता है, जिसका विवरण सरकार के विचार के लिए प्रस्तुत शोध प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, सामान्य परीक्षण सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है जहां ऐसी प्रकृति के परीक्षण अक्सर आवश्यक नहीं होते हैं, ताकि परीक्षण बुनियादी ढांचे में अनावश्यकता पैदा न हो। कपड़ा मंत्रालय तेलंगाना सरकार के सहयोग से उन्नत तकनीकी वस्त्रों के लिए एक एकीकृत परीक्षण और प्रमाणन केंद्र बनाने पर विचार कर रहा है। इस केंद्र में स्थापित सुविधाओं का उपयोग उन्नत परीक्षण के लिए किया जा सकता है।

क.5 स्थायी जनशक्ति के लिए किए गए खर्च को अनुसंधान की लागत से नहीं वसूला जाना चाहिए। हालांकि, अनुसंधान परियोजना के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त अस्थायी जनशक्ति (संविदा कर्मचारी, सलाहकार) की लागत को अनुसंधान प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से इंगित किया जा सकता है, ऐसे प्रत्येक कार्य के संबंध में कार्य दिवस और लागत प्रति मानव-दिन का विवरण।

क.6 प्रत्येक परियोजना में अपने 'वांछित परिणाम' की उपलब्धि के लिए अधिकतम तीन चरण (अंतिम परिणाम चरण सहित) होंगे। वांछित परिणाम स्पष्ट रूप से पहचाने जाने योग्य शब्दों में होना चाहिए, जिसमें व्यावसायिक उपयोग या पर्याप्त सुधार के आवेदन की संभावना हो।

अनुसंधान प्रस्ताव में ऐसी सभी धारावाहिक और समानांतर गतिविधियों का उल्लेख होना चाहिए; और पीईआरटी आरेख में रंग कोड में 'रिसर्च बॉडी' और उसके उद्योग भागीदार/प्रयोगशाला भागीदार द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी इंगित करें। प्रत्येक गतिविधि के लिए एक मील का पत्थर और चरण (एक चरण का मतलब वांछित परिणाम से पहले एक मापने योग्य और निश्चित परिणाम की उपलब्धि) की

समयरेखा को भी अनुसंधान प्रस्ताव में परिभाषित करने की आवश्यकता है। प्रगति की निगरानी के लिए प्रत्येक परियोजना की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, जो प्रत्येक छह महीने में एक बार से अधिक नहीं होगी, इसके परिभाषित मील के पत्थर और चरणों की समीक्षा की जाएगी। आगे की धनराशि अनुमोदित योजना के अनुसार अनुसंधान परियोजना की संतोषजनक प्रगति पर निर्भर करेगी।

क.7 अनुसंधान प्रस्तावों को राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के तहत संस्थागत तंत्र के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा, जिसे भारत के राजपत्र में दिनांक 17 मार्च 2020 के राजपत्र संकल्प में अधिसूचित किया गया है। शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले अनुसंधान निकाय और उसके भागीदारों को समिति के समक्ष प्रस्ताव को विचार के समय प्रस्तुत करना आवश्यक हो सकता है।

क.8 राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का उद्देश्य स्वदेशी विनिर्माण और मूल्य वर्धित और अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्र सामग्री और उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान करना है। देश को व्यापक लाभ देने वाले तकनीकी वस्तुओं के एक विशिष्ट और उन्नत क्षेत्र को संबोधित करते हुए सभी शोध परियोजनाओं को मूल प्रकृति का होना चाहिए। अनुसंधान परियोजना के लिए अनुसंधान निकाय और उसके सहयोगी अनुसंधान गोपनीयता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

क. फंडिंग व्यवस्था

- (i) अनुसंधान प्रस्ताव के अनुमोदन और अनुसंधान परियोजना प्रदान करने और समझौते / समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद निधियों का 20% जारी करना;
- (ii) अनुसंधान परियोजना के चरण-I की उपलब्धि और उसके अनुमोदन के बाद निधियों का 30% जारी करना, और पहली किस्त के न्यूनतम 70% का उपयोग;
- (iii) चरण- II की उपलब्धि और उसके अनुमोदन के बाद 30% धनराशि जारी करना और पहली किस्त की 100% निधि का उपयोग और न्यूनतम 70% धनराशि।
- (iv) वांछित परिणाम की प्राप्ति के बाद निधियों का 20% अंतिम विमोचन और जारी की गई पहली, दूसरी और तीसरी किस्त की 100% निधियों के उपयोग के बाद।

योजना को तीन स्तरीय संस्थागत तंत्र के माध्यम से लागू किया जाएगा जैसे: -

- (i) मिशन संचालन समूह
- (ii) अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति
- (iii) अनुसंधान, विकास और नवाचार पर तकनीकी वस्त्र समिति

जीएफआर 2017 के प्रासंगिक निर्देशों और नीति आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए सभी अनुसंधान उपकरण, अतिरिक्त अनुबंध जनशक्ति / सलाहकार, अनुसंधान सामग्री की खरीद / किराए पर ली जाएगी और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिए उपकरणों की खरीद की जाएगी। कम पूंजी लागत के माध्यम से उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सक्षम बनाना।

मिशन का लक्ष्य वर्ष 2023-24 के पूरा होने के बाद समाप्त होगा।

ख. **बौद्धिक सम्पदा**

अनुसंधान परिणाम की बौद्धिक संपदा (आईपी) आम तौर पर सरकार के पास निहित होगी। ऐसे मामलों में, जहां एक प्रतिभागी उद्योग भागीदार ने पर्याप्त योगदान दिया है, संबंधित उद्योग भागीदार का एक निश्चित अवधि के लिए आईपी पर अधिकार होगा। अनुसंधान परिणामों में से बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में नीति इस प्रकार होगी:

(i) स्थिति-1 विशुद्ध रूप से एक अकादमिक संस्थान/सार्वजनिक वित्त पोषित प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी।

आईपी को संबंधित शैक्षणिक संस्थान/सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान की संस्थागत आईपी नीति के अनुसार लाइसेंस दिया जाएगा या ऐसी संस्थागत आईपी नीति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रीय सरकार आईपी नीति द्वारा शासित किया जाएगा।

जहां तक संभव हो, आईपी किसी भी इच्छुक पार्टियों या गैर-अनन्य आधार पर लाइसेंस के लिए खुला हो सकता है। [question will be available to open to any industrial partner for licensing on a non-exclusive basis.](#)

(ii) स्थिति 3: विशुद्ध रूप से एक उद्योग के स्वामित्व वाला एक आईपी, जिसके आधार पर शैक्षणिक संस्थान/सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान, उक्त उद्योग के साथ एक संयुक्त परियोजना को बढ़ाने के लिए शामिल है।

इस स्थिति में, शैक्षणिक संस्थान द्वारा उत्पन्न किसी भी नए आईपी को पायलट स्केल/सत्यापन परियोजना के पूरा होने की तारीख से उद्योग भागीदार को दो साल की अवधि के लिए विशेष आधार पर लाइसेंस दिया जा सकता है। दो साल के बाद, मील के पत्थर की उपलब्धियों और रॉयल्टी की प्राप्ति का विधिवत मूल्यांकन करने के बाद, आईपी को या तो उसी उद्योग के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीनीकरण के

लिए विचार किया जा सकता है या प्रासंगिक आईपी नीति की शर्तों के अनुसार किसी भी इच्छुक पार्टी के लिए खुला रखा जा सकता है।

ग: आवेदन का प्रारूप

1. (i) अनुसंधान निकाय का नाम स्थान और अन्य विवरण सहित

(ii) भारत सरकार का प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग:

(iii) अनुसंधान परियोजना के प्रमुख के साथ

(एक नाम:

(बी) पदनाम:

(सी) ई-मेल आईडी:

(डी) संपर्क नंबर (मोबाइल नंबर): -

(* अनुसंधान परियोजना का प्रमुख वैज्ञानिक 'एफ', भारत सरकार या अकादमिक संस्थान के विभागाध्यक्ष से नीचे नहीं होना चाहिए)

2. उद्योग भागीदारों और प्रयोगशाला साझेदारों का विवरण

क . उद्योग भागीदार/प्रयोगशाला भागीदार

(i) उद्योग भागीदार/प्रयोगशाला भागीदार का नाम

(ii) पता, स्थान,

(iii) पंजीकरण विवरण

(iv) वर्तमान विनिर्माण गतिविधियां और/या अनुसंधान अवसंरचना

(v) प्रमुख व्यक्ति का नाम/पदनाम

(बी, सी, डी, आदि के रूप में अधिक उद्योग / प्रयोगशाला भागीदार जोड़ें)

3. अनुसंधान परियोजना का नाम

4. शोध प्रस्ताव का उद्देश्य और सार (500 शब्दों से अधिक नोट करें)
5. (ए) परियोजना पद्धति
(बी) मील के पत्थर और चरणों के साथ परियोजना कार्यान्वयन योजना
(सी) प्रत्येक भागीदार की भूमिका
(डी) वांछित परिणाम
6. लागत का विवरण: अतिरिक्त अनुसंधान उपकरण, अतिरिक्त अनुबंध जनशक्ति / सलाहकार, अनुसंधान सामग्री की खरीद शामिल है।
7. परियोजना के संबंध में आवश्यक उपलब्ध अनुसंधान और परीक्षण उपकरण का विवरण (अनुसंधान निकाय, प्रत्येक भागीदार के संबंध में)
8. चरणों और परिणामों के साथ प्रगति चार्ट (उद्योग और अन्य प्रयोगशाला के साथ साझेदारी के मामले में व्यक्तिगत भागीदारों की भूमिका को इंगित करने के लिए रंग कोडित)।
9. अंतिम परिणाम से समाज/अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से कैसे लाभ होगा (जितना संभव हो मात्रात्मक शब्दों में)।****